(Rs. in lakhs)

Purpose	1994-95	1995-96	1996-97
Investment Credit	17726	18898	22456
Short Term Refinance	25310	25651	31162
Medium Term Refinance	..	..	16
Loans provided to State Government for share capital assistance to cooperative institutions	620	188	..

(b) The data reporting systems of RBI and NABARD do not generate this information.

Financing of Self-Employment Schemes by Commercial Banks in North-Eastern Region

2212. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Commercial bank working in the North-Eastern States are not properly financing the self-employment schemes;

(b) the commercial banks loans target and achievements during the Eighth Five Year Plan in the region of North-East on State-wise basis; and

(c) if the commercial banks are reluctant in financing the self-employment schemes what alternate arrangement are contemplated by Government or implementing the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन

2213. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा क्या है ; और

(ग) परिभाषा में संशोधन करके उसमें नये क्षेत्रों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) कृषि

(ii) लघु उद्योग

(iii) लघु सड़क एवं जल परिवहन चालक

(iv) लघु व्यवसाय

(v) खुदरा व्यापार

(vi) व्यावसायिक और स्वत: नियोजित व्यक्ति

(vii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्ग ।

(viii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन

(ix) शिक्षा

(x) आवास

(xi) उपभोग

(xii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जाने वाली निधियां

(xiii) स्वयं सहायता समूहों को ऋण

(xiv) एस एक सी एस आई डी सी डी, आर ई सी, नाबार्ड तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष बांडों में अंशदान ।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गों के अन्तर्गत कमजोर वर्गों एवं लघु उधारिकर्ताओं की सहायता करना है । इसलिए, अन्य वर्गों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें शामिल किए जाने से प्राथमिकता क्षेत्र के वर्तमान घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

Licencing of Private Sector Banks

2214. SHRI K. RAHMAN KHAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of private sector banks that have been licensed so far;

(b) the number of applications for bank license that have been given approval in principle and the names of the applicants;

(c) the number of applications that are pending and whether Government will consider the application and the names of the applicants pending; and

(d) since when the applications for licences are pending and the reasons for delaying the decisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that there are at present 35 Indian private sector banks functioning in the country out of which 34 are licenced bank, the only exception being the Sikkim Bank Ltd.

(b) RBI had also granted 'in-principle' approval to three applicants to set up new banks in the private sector. However, two of these 'in-prinicple' approvals have since been withdrawn.

(c) According to RBI, 40 applications have been received by them for setting up of new banks in the private sector.

(d) The experience gained with reference to the functioning of new private sector banks over a reasonable period of time and the merit of the application as also the needs of the system will determine further licensing decisions and as such no time frame can be fixed for decisions on these applications.

निजी बैंक

2215. श्री नागमणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र में स्थापित किये गये ऐसे बैंकों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी स्थापना को तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है ;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के उन बैंकों द्वारा ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार शाखाएं खोली जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?